# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/581

बजरंग लाल आयु 70 वर्ष आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी लोधा की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. मूलचन्द आत्मज गोमदा जाति दरोगा निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 16.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोधा की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2905/2368 रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का काफी वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि दिनांक 02.05.94 को आवंटित की गई । प्रार्थी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है । ग्राम लोधा की झौपडियॉ से एक ग्रेवल आम रास्ता चारागाह भूमि पर जाता है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के तहत ग्रेवल सडक बना रखी है जो ग्राम लोधा की झौपडियॉ से चारागाह भूमि पर होकर आगे सूहरी गॉव की तरफ जाती है । उक्त ग्रेवल सडक से बाबा का छोराडा के पास से एक रास्ता उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2365 में होता हुआ भूमि खसरा नम्बर 2368 पर जाता है । खसरा नम्बर 2365 में उक्त रास्ता वर्षों से बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी करता आ रहा है । उक्त रास्ते के पश्चिम साईड पर अप्रार्थी कम 1 की भूमि विस्थित है लेकिन अप्रार्थी कम 1 ने खसरा नम्बर 2365 में सिवायचक रकबा होते हुए भी अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2900/2365 की तरमीम प्रार्थी के रास्ते की

भूमि पर करवा ली । प्रार्थी का रास्ता मौके पर अप्रार्थी कम 1 की भूमि में पूर्वी साइड पर वर्षो से बना हुआ था जिस का उपयोग प्रार्थी, अप्रार्थी कम 1 व ग्रामवासियों की जानकारी में करता आ रहा था । उक्त रास्ता मौके पर 12 फिट बना हुआ था । प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है । अप्रार्थी कम 1 ने उक्त रास्ते को दो वर्ष पूर्व हांक कर अपने खेत में मिला लिया जिससे प्रार्थी का रास्ता बन्द हो गया है । अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर मिटाये गये रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 2365 के शेष भाग पर आज भी रास्ता विद्यमान है । प्रार्थी वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2900/2365 की पूर्व साईड की भूमि पर 12 फिट चौडे रास्ते की घोषणा चाहता है ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु ग्राम लोधा की झौपडियॉ से चारागाह भूमि पर जाने वाले ग्रेवल सडक से बाबा का छोराडा के पास से उत्तरी दिशा में स्थित अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2900/2365 में पूर्वी साइड में 12 फिट चौडाई में खसरा नम्बर 2368 की सीमा तक रास्ता घोषित किये जाने का आदेश पारित किया जावे । उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 18.05.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । खसरा नम्बर 2365 सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी कन्हैया लाल द्वारा अतिक्रमण कर रखा है उक्त भूमि पर होकर आवाजाही बन्द है ऐसी स्थिति में पटवारी कानूननगो द्वारा रास्ता चलने में होने का कथन मिथ्या अंकित किया है । अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में जो रास्ता दर्शाया गया है उक्त रास्ता न तो रिकॉर्ड में दर्ज है तथा न ही मौके पर चालू है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखा जिसकी अपीलान्ट को कैम्प में बुलाया गया लेकिन रेस्पोडेन्ट कैम्प में उपस्थित नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट पटवारी कानूनगो से मंगवाई गई और पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को बताया गया कि पटवारी कानूनगो द्वारा आपकी भूमि पर जाने का अन्य रास्ता सिवायचक भूमि पर बताया गया था तथा कहा गया कि पटवारी *कानूनगो द्वारा बताये गये प्रचलित रास्ते को चालू करवाने के लिए पटवारी कानूनगो मौके पर* आएगें और सिवायचक भूम खसरा नम्बर 2365 पर से अतिक्रमण हटवाकर तुम्हारी भूमि पर

उन्होंने उक्त अपीलाधीन निर्णय के बारे में

नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 2365 में कई वर्षों से रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग अपीलान्ट करता चला आ रहा है । उक्त रास्ते के पश्चिम साइड पर अप्रार्थी क्रम 1 की भूमि स्थित है लेकिन अप्रार्थी ने तरमीम अपीलान्ट के रास्ते की भूमि पर करवा ली है । रास्ता रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की भूमि के पूर्वी साईड पर 12 फिट चौडा बना हुआ है जिसका उपयोग निरन्तर निर्बाध रूप से अपीलान्ट करता आ रहा है । रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी ट्रेक्टर से हांक कर अपने खेत में मिला लिया जिससे प्रार्थी का रास्ता बन्द हो गया । रास्ते को खुलवाने के लिए नायब तहसीलदार के समक्ष भी प्रार्थना पत्र पेश किया । उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय अपीलाधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किया । जवाब हेतु पत्रावली लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया और मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रचलित रास्ता सिवायचक भूमि पर दर्शाया गया है उसको चालू करवाकर रास्ता घोषित किये जाने में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है, इस बाबत् सहमति दी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते के बाबत् घोषणा किये बिना अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । रास्ता जो प्रचलित है उसके चालू करवाने बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है । अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 2602/2366 पर रास्ते की कोई घोषणा नहीं चाही है इसलिए उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में रास्ता मौजूद है जिसके खुलासा करने का विवाद धारा 251 के अन्तर्गत आता है । ऐसी परिस्थिति में सरकारी सिवायचक आराजी पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी ने धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और खसरा नम्बर 2900/2365 में रास्ते की घोषणा की प्रार्थना की है । प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 2365 में वर्षों से रास्ता बना है जिसका

उपयोग प्रार्थी करता चला आ रहा है । मौके पर 12 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है जिसका प्रार्थी निर्बाध रूप से उपयोग करता चला आ रहा है । इस रास्ते को अप्रार्थी ने ट्रेक्टर से हांक कर अपने खेत में मिला लिया है और रास्ता बन्द कर दिया है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर धारा 251 (क) के तहत नया रास्ता कायम करने का प्रकरण नहीं है वरन् पहले से ही मौजूद रास्ते को खुलासा करने की प्रार्थना की गई है जो धारा 251 के तहत तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत के समक्ष विचारणीय होता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में भी यही अंकित किया है कि पूर्व में रास्ता मौजूद है। इन तथ्यों के आधार पर पूर्व में रास्ता मौजूद होने से धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र वादी अपीलान्ट खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पूर्व में मौजूद रास्ते के खुलासे हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष धारा 251 के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 18/581**

बजरंग लाल आयु 70 वर्ष आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी लोधा की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

**बनाम**

1. मूलचन्द आत्मज गोमदा जाति दरोगा निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।**

**वाद संख्याः 34/दावा/2017**

बजरंग लाल आयु 70 वर्ष आत्मज सूरजमल जाति मीणा निवासी लोधा की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

**बनाम**

1. मूलचन्द आत्मज गोमदा जाति दरोगा निवासी दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट पूर्व में मौजूद रास्ते के खुलासे हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष धारा 251 के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

16/8/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा